वैदिक वाङ्मय में न्याय एवं दण्डविधान

डा. अजय कुमार

वैदिक युग में समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपराध के लिए कठोर दंड–व्यवस्था थी। तत्कालीन राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में तत्क्षण अपराधी को दण्डित किया जाता था। निर्विवादतः शासन प्रणाली में तत्क्षण अपराधी के अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड का विधान होना चाहिए। इस संदर्भ में वैदिक वाङमय की जो दृष्टि है, प्रशंसनीय है। किन्तु अनेकत्र अपराधी के अपराध के लिए आग में जलाने, पेट फाड़ने, हाथ पैर, सिर तथा गर्दन काटने, उसे पत्थर से पीस देने जैसे कठोरतम दंड विधान हैं ये आपत्तिजनक है, मानवता के विरूद्ध है। प्रत्येक राजा का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि उसके प्रताप से ही अपराधी अपराध करने को सौ बार सोंचे। द्वितीय, किसी अपराधी को एक नियत समय तक कारागार में डालने जैसे दंड प्रदान कर उसकी गलतियों का एहसास काराया जाना चाहिए ताकि वह दुबारा अपराध करने का संकल्प ही न ले। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है। उसे बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अपराधी नकारात्मक भावों से प्रेरित होता है, समाज में ऐसी भावना पैदा करने का प्रयास होना चाहिए ताकि लोगों में सकारात्मक भाव एवं सात्विक प्रवृत्ति का उदय हो। सात्विक प्रवृत्ति के प्रबुद्ध होने पर कोई भी व्यक्ति अपराध कार्य के लिए उद्यत नहीं होगा।